(47)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर, संभाग, ग्वालियर

PBR/निगरानी/खण्डवा/भू.रा/2017/4820

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू-राजस्व संहिता

अमरपालसिंह पिता किशनसिंह ग्रोवर, निवासी आनंद नगर, खंडवा, तह. व जिला खंडवा।

---याचिकाकर्ता/आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग-खंडवा

---प्रत्यार्थी/अनावेदक

याचिकाकर्ता न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 0017/अपील/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 09.10.2017 से असंतुष्ट, दुःखित, एवं पीड़ित होकर के निम्नलिखित तथ्यो एवं आधारो पर यह पुनरीक्षण याचिकाकर्ता प्रस्तुत करता है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी / खण्डवा / भू.रा. / 2017 / 4820

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6—12—2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेशिका दिनांक 9—10—17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण में स्थगन दिये जाने का कोई औचित्य नहीं होने से आवेदक का स्थगन आवेदन पत्र निरस्त किया गया है । प्रकरण में अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के आदेश आवेदक के विपरीत होने से स्पष्ट है कि सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में नहीं है । स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा स्थगन नहीं देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	